म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

M.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, GWALIOR

CELEBRATING 120 YEARS MPCCI

https://mpcci.in

e अर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

DECEMBER 2025

- आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
- वर्ष : 28, अंक : 06

http://www.mpcci.in
अर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

श्रम विभाग के नए कानून कोड एवं श्रम विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही से उत्पन्न

चुनौतियों और परेशानियों के समाधान हेतु बैठक आयोजित

श्रम विभाग के नए कानून कोड एवं श्रम विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही से उत्पन्न चुनौतियों और परेशानियों के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन दिनांक 27 दिसम्बर 2025 को 'चेम्बर भवन' में किया गया । बैठक में विशेषज्ञ के रूप में सी.ए. श्रीमती नीतू गुप्ता एवं श्रम विभाग के कानूनी सलाहकार श्री ब्रह्मा अग्रवाल उपस्थित थे ।

इस अवसर पर श्रम विभाग के कानूनी सलाहकार, श्री ब्रह्मा अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नवीन लेबर कोड बनाए गए हैं । कुछ राज्यों में इसके नियम बनाये गये हैं, वहाँ यह लागू हो गए हैं, लेकिन कुछ राज्य जिसमें हमारा मध्यप्रदेश भी शामिल है, नियम नहीं बनने से यह अभी लागू नहीं हुए हैं । नए एक्ट में श्रम विभाग के इंस्पेक्टर अब सलाहकार कहलाएँगे, यानि पहले उनको आपको नियम समझाने होंगे । किसी व्यापारी पर वह सीधे केस नहीं बना सकते हैं और अनावश्यक परेशान नहीं कर सकते हैं, यदि वह ऐसा करते हैं, तो उनकी उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा सकती है । फिर भी यदि वह कोई पूछताछ करते हैं, तो उनसे लिखित में नोटिस देने के लिए कहें, ताकि उनका लिखित में जवाब दिया जा सके ।

सीए व श्रम कानून विशेषज्ञ–श्रीमती नीतू गुप्ता ने बताया कि अभी वर्तमान कानूनों के लिए सरकार ने पीएफ के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की है, यदि आपके योग्य कर्मचारी पीएफ का लाभ लेने से रहे गए हैं, तब दि. 01 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक के कर्मचारियों को घोषित कर सकते हैं । आपको इसमें कर्मचारी का अंशदान नहीं देना है, केवल एम्प्लायर का अंशदान एवं ब्याज देना है । अभी सरकार इसमें केवल 300 रूपये पेनाल्टी ले रही है । ईएसआईसी में भी एमनेस्टी स्कीम 30 सितम्बर 2026 के लिए है । इसमें आपका कोई भी डिस्प्यूट हो, तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं । आपने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा ब्रिटिश राज में बनाए गए 44 कानूनों को समाप्त कर, 4 नये लेबर कोड बनाए गए है, जो कि निम्नानुसार हैंः– 1. कोड ऑन वेजेज

एक्ट-इसमें हमारी मिनिमम वेजेज, बोनस आदि को कवर किया गया है। 2. कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी-इसमें पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्यूटी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन आदि को कवर किया गया है। 3. इण्डस्ट्रियल रिलेशन कोड-इसमें ट्रेड यूनियन आदि को कवर किया गया है । 4. ओएसएच कोड, इसमें सेफ्टी हेल्थ, फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स को कवर किया गया है । कोड ऑफ वेजेज एक्ट में यूनिफार्म वेजेज का प्रावधान किया गया है । पहले पीपीएफ, ईएसआई एवं ग्रेच्युटी के लिए वेतन का निर्धारण अलग तरह से किया जाता था । अब यूनिफॉर्म वेजेज में बेसिक, डीए एवं रिटेनिंग एलाउंस को शामिल किया गया है । इस एक्ट के तहत कर्मचारियों को माह की 07 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य किया गया है । कर्मचारियों से सप्ताह में 48 घंटे ही वर्क करा सकते हैं । ओवरटाइम के लिए पूर्व की तरह डबल भुगतान करना होगा । ईएसआई अब 10 कर्मचारियों से नीचे भी वालेंटरी ली जा सकती है, वहीं जोखिम वाले कारोबार में 01 व्यक्ति पर भी ईएसआई अनिवार्य किया गया है । कर्मचारियों को अपाइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य होगा । ठेके पर लगे कर्मचारियों को भी एक साल की सेवा होने पर ग्रेच्युटी अनिवार्य की गई है । आपने इसी प्रकार विस्तार से नये लेबर कोड की जानकारी दी गई ।

प्रारम्भ में अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि श्रम विभाग इसलिए बनाया गया है कि वह श्रमिकों के हितों का संरक्षण करते हुए व्यापारियों को अनावश्यक परेशान भी न करे । इसके साथ ही कोई बाल श्रमिक तो कार्य नहीं कर रहा है, यह देखने का कार्य भी श्रम विभाग का है । यदि श्रम विभाग अपने इस कार्य को करता है, तो किसी व्यापारी/उद्योगपति को इस बात से कोई परेशानी नहीं है, परन्तु कई बार देखने में आता है कि श्रम विभाग के अधिकारी/इंस्पेक्टर अपने कार्य के इतर अपने हिडन एजेण्डे पर काम करने लगते हैं और जब-जब ऐसा होता है, तब चेम्बर ऑफ कॉमर्स को आगे आना पड़ता है क्योंकि हमारी स्थापना ही इसी उद्देश्य को लेकर हुई थी कि वह व्यापारी/उद्योगपति की परेशानी को दूर करें, ताकि व्यापारी एवं उद्योगपति अपना पूरा ध्यान अपने उद्यम को चलाने में लगाएँ । हाल ही में श्रम विभाग द्वारा अनावश्यक कार्यवाहियाँ देखने को मिली हैं, हम आज नये लेबर कोड को समझेंगे और उसके बाद श्रम विभाग के आला अधिकारियों को भी बुलाएँगे तथा उन्हें आगाह करेंगे कि श्रम विभाग जिस उद्देश्य के लिए है, वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करें और कोई हिडन एजेण्डा न चलाएँ और अगर इसके बाद भी ऐसा कोई प्रयास किया गया, तब चेम्बर ऑफ कॉमर्स मजबूती से उसके सामने खड़ा होगा ।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि आज की बैठक में सार्थक चर्चा हुई है । नये लेबर कोड से न केवल कर्मचारियों के हितों का संरक्षण होगा, वहीं हमारे व्यापारी-उद्योगपतियों को अपने कारोबार के संचालन में आसानी होगी ।

बैठक में आभार, कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया । बैठक में उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव एवं सदस्य म. प्र. श्रम सलाहकार परिषद-जगदीश मित्तल, कार्यकारिणी समिति सदस्य-सर्वश्री सीए अशोक विजयवर्गीय, महेन्द्र साहू, अखिलेश गोयल, आशीष जैन, आशीष अग्रवाल, आशुतोष मिश्रा, अमित अग्रवाल, नंदकिशोर गोयल, भरत बंसल, अशोक कुमार अग्रवाल, रवि मित्तल, संजय गुप्ता सहित काफी संख्या में व्यापारी एवं उद्योगपति उपस्थित थे ।

कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

* सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार कर, निम्नानुसार फर्मों को सदस्यता प्रदान की गई :-

1. मेसर्स बिन्दल यूनीफार्म, ओल्ड हाईकोर्ट के सामने, लश्कर, ग्वालियर
2. मेसर्स मोनिका इंजीनियरिंग कम्पनी, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर
3. मेसर्स सनसिटी प्रमोटर्स एण्ड डवलपर्स, 6, झाँसी रोड, होटल लेण्डमार्क के सामने, ग्वालियर
4. मेसर्स भटनागर ट्रेडिंग कारपोरेशन, बाबा कॉम्प्लेक्स, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर
5. मेसर्स धूमेश्वर फिलिंग स्टेशन, वार्ड-8, शासकीय अस्पताल के सामने, भितरवार.
6. मेसर्स आर. पी. ग्रो वैंचर प्रा. लि., शंकरपुर, ग्वालियर.
7. मेसर्स अमन ट्रेडर्स, शितोले साहब का बाड़ा, दर्जीओली, लश्कर, ग्वालियर.
8. मेसर्स ऋषि गालव होटल एण्ड रिसोर्ट, डी. डी. नगर, ग्वालियर
9. मेसर्स श्री श्यामकृपा एग्रो इन्फ्रा फेसिलिटी, झाँसी रोड पुलिस स्टेशन के सामने, ग्वालियर
10. मेसर्स मंगल फर्नीचर्स, भापकर की गोठ, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर
11. मेसर्स बजरंग बायोफ्यूल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., 155, जीवाजीगंज, मुरैना
12. मेसर्स वैष्णों बिल्डिंग सोल्यूशन, सी-101, मिक्स टॉवर, सिटी सेंटर, ग्वालियर
13. मेसर्स अनुराग मेडीकल स्टोर, जिन्सी नाला नं.-2, लश्कर, ग्वालियर.
14. मेसर्स ओम कृष्णा इण्डस्ट्रीज, विमल काटेज, नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर
15. मेसर्स अतिशय कलेक्शन, न्यू गंगा कॉम्पलेक्स, बालाबाई बाजार, लश्कर, ग्वालियर
16. मेसर्स विहर्ष कलेक्शन, न्यू गंगा कॉम्पलेक्स, बालाबाई बाजार, लश्कर, ग्वालियर
17. मेसर्स माँ अम्बे फार्मा, हुजरात मार्केट, लश्कर, ग्वालियर.
18. मेसर्स हिमानी शिवानी कैटल फीड्स, रुद्र मार्केट के सामने, हजीरा, ग्वालियर
19. मेसर्स जी. एस. एसोसिएशन, एफ-53-54, लक्ष्मीपुरम, ग्वालियर
20. मेसर्स मधुर सेल्स, 1576, कोतवाली संतर, मुरार, ग्वालियर
21. मेसर्स न्यू मनीष मेडीकल स्टोर्स, हुजरात कोतवाली के सामने, लश्कर, ग्वालियर
22. मेसर्स गर्ग एण्ड कम्पनी, केमिस्ट प्लाजा, हुजरात चौराहा, ग्वालियर.
23. मेसर्स नारायणी फोम्युलेशन, मनोज मार्केट, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर
24. मेसर्स प्रखर ज्वेलर्स, सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर
25. मेसर्स मोदी ऑटो इलेक्ट्रीकल, छुटमल की बजरिया, लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर
26. मेसर्स रोहित डीजल्स, आदर्श कॉलोनी, शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर
27. मेसर्स केएमजे ट्रेडर्स द्वारा गोयल कॉटेज, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर
28. मेसर्स संधु लॉजिस्टिक्स इंडिया प्रा. लि. ट्रांसपोर्ट नगर, ग्वालियर
29. मेसर्स साड़ी महल, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर

* मेसर्स अग्रवाल टेरीन स्टोर का नाम परिवर्तित कर, मेसर्स श्याम एजेन्सी एवं मेसर्स टूरिस्ट होटल का नाम परिवर्तित कर, मेसर्स रामचंद्र छोटेलाल किए जाने का निर्णय लिया गया ।

  ज्ञात रहे, दिनांक 25-09-2025 से लागू चेम्बर के संशोधित संविधान में अध्याय-एक की धारा-5 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''(5) फर्म के नाम/सदस्यता में परिवर्तन'' - ऐसी फर्म, जिनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं और वह अपनी उक्त फर्म में व्यापार न करते हुए नई फर्म से व्यापार कर रहे हैं, तो कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देने पर कार्यकारिणी समिति की सहमति से फर्म का नाम परिवर्तन करा सकेंगे । यह परिवर्तन धारा-2. सदस्यता हेतु योग्यता के तहत किया जाएगा । इस हेतु कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 25-11-2025 में सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क की वर्तमान दरों की 50% राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया था । अतः उपरोक्तानुसार दोनों फर्मों के नाम परिवर्तित किए गए ।

* समूह परिवर्तन हेतु प्राप्त निम्नलिखित आवेदन-पत्रों पर विचार कर, निम्नानुसार समूह परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया गया :-

  (I) मेसर्स वैष्णव सर्विसेज, समूह क्र.-13 (इलेक्ट्रोनिक उपकरण व्यवसाय) से समूह क्र.-14 (कम्प्यूटर, मोबाइल व्यवसाय) में ।

  (II) मेसर्स राजू साड़ी सेन्टर, समूह क्र.-04 (खेरीज एवं कटपीस वस्त्र व्यवसाय) से समूह क्र.-02 (थोक वस्त्र व्यवसाय) में ।

* ''दीपावली व नववर्ष मिलन समारोह'' के आयोजन संबंधी तैयारियों की जानकारी से सदन को अवगत कराया गया।

* 'चेम्बर सचिवालय' हेतु वर्ष-2026 के लिए सामान्य अवकाश निम्नानुसार रहेंगे :-

* गणतंत्र दिवस	26 जनवरी 2026	
* होली	04 मार्च 2026	
* भाई दोज	05 मार्च 2026	
* ईद-उल-फितर	21 मार्च 2026	(एच्छिक)
* ईदुज्जुहा (बकरीद)	27 मई 2026	(एच्छिक)
* स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त 2026	
* रक्षाबंधन	28 अगस्त 2026	
* श्रीकृष्ण जन्माष्टमी	04 सितम्बर 2026	
* गणेश चतुर्थी	14 सितम्बर 2026	(एच्छिक)
* गाँधी जयंती	02 अक्टूबर 2026	
* दशहरा (विजयादशमीं)	20 अक्टूबर 2026	
* गोवर्धन पूजा	09 नवम्बर 2026	
* दीपावली पड़वा	10 नवम्बर 2026	
* भाईदूज	11 नवम्बर 2026	

नोट : इनके अतिरिक्त विशेष कारणों से 4 अवकाश देने का अधिकार 'मानसेवी सचिव' को रहेगा । महाशिवरात्रि-15 फरवरी, दुर्गाष्टमी (एच्छिक) 18 अक्टूबर व दीपावली 9 नवम्बर को 'रविवार' होने से पृथक से अवकाश घोषित नहीं किया गया है । उपरोक्त 03 एच्छिक अवकाशों में से कोई भी 02 अवकाश स्टॉफकर्मी ले सकते हैं ।

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

सदस्य उपलब्धियाँ...

मानसेवी सचिव – दीपक अग्रवाल, फिक्की में कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत

फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (FICCI) के अध्यक्ष – श्री अनंत गोयनका द्वारा मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल को फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है।

श्री अजय बंसल एवं श्री निकुंज बंसल लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित

अजय बंसल

श्री अजय बंसल को ''कंक्रीट प्रौद्योगिकी'' के क्षेत्र में उनके ''दीर्घकालीन उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायक योगदान'' के लिए ''लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड'' एवं श्री निकुंज बंसल को ''आउट स्टेंडिंग कंक्रीट स्टक्चर अवार्ड'' प्रदान किए गए हैं।

यह अवार्ड अल्ट्राटेक सीमेंट लि. ने आईसीआई और अल्ट्राटेक कंक्रीट डे अवार्ड्स 2024–25 के ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर प्रदान किए गए।

निकुंज बंसल

पदाधिकारियों ने सदस्य महानुभावों के उपरोक्त मनोनयन एवं सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ दी हैं।

दिसम्बर 2025 के महत्वपूर्ण प्रयास...

* आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, लक्कड़खाना पुल के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की माँग की गई।
* आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शंकरपुर औद्योगिक नगरी के जर्जर प्रवेश मार्गों का निर्माण किए जाने की माँग की गई।
* महापौर, माननीया डॉ. शोभा सिकरवार एवं सभापति–माननीय श्री मनोज सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, गारबेज शुल्क की विसंगति को दूर करके युक्तियुक्तकरण किए जाने संबंधी सुझाव प्रेषित किए गए।
* वित्तमंत्री, म. प्र. शासन–माननीय श्री जगदीश देवड़ा को ''प्रीबजट ज्ञापन'' के माध्यम से, वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित बजट के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए।

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा सागर प्रिन्टर्स, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–2371691,2632916,2382917